UPRP010002052026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर ।

उपस्थितिः– अजय कुमार दीक्षित, (एच०जे०एस०)

J.O. Code – UP 6153

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या –23/2026

पंजीयन संख्या–18/2026

श्रीमती शबनम उम्र करीब 40 वर्ष पत्नी नजाकत, निवासी चाउपुरा, वार्ड नं० 11, मसवासी, थाना स्वार, जनपद रामपुर।

–––––––**पुनरीक्षणकर्ता।**

बनाम

1. मो० उमर आयु करीब 55 वर्ष, पुत्र अमीर हुसैन,
2. मोहम्मद अजरुददीन आयु करीब 22 वर्ष,
3. मोहम्मद फैज उम्र करीब 21 वर्ष, पुत्रगण मोहम्मद कमर,
4. मोहम्मद कमर, उम्र करीब 35 वर्ष, पुत्र अमीर हुसैन,
5. मोहम्मद फैजान उम्र करीब 25 वर्ष ,
6. गुलफाम आयु करीब 24 वर्ष, पुत्रगण मोहम्मद हनीफ, समस्त निवासीगण चाउपुरा वार्ड नं० 11 मसवासी, थाना स्वार, जिला रामपुर।
7. सरकार उ०प्र०।

––––––– **विपक्षीगण।**

निर्णय

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता श्रीमती शबनम की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज(सी०डी०), रामपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, थाना स्वार, जिला रामपुर में पारित आदेश दिनांकित 17.12.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है।

2. संक्षेप में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.12.2025 विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्ती योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अपने विवेक एवं क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है व प्रश्नगत आदेश पारित करते समय पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन नहीं किया है, इसलिये अभियुक्तण को साक्ष्य के आधार पर तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक–27.11.2025 को समय करीब 6.00 बजे प्रार्थिनी अपने घर से जरूरी सामान लेने के लिए गयी थी, तभी मौहम्मद फैज व फरदीन ने प्रार्थिनी को रास्ते मे घेर लिया और प्रार्थिनी के साथ मारपीट की तथा अश्लील हरकते की। और प्रार्थिनी के गुप्तांगो को छुआ, प्रार्थिनी के विरोध करने पर प्रार्थिनी के साथ बुरी तरह मारपीट की। शोर शरावा सुनकर प्रार्थिनी के पति व मौहल्ले के काफी लोग आ गये। जब इस बात की शिकायत प्रार्थिनी के पति ने मौहम्मद फैज व फरदीन के परिवारो वालो से की, तो सभी लोग इकटठा होकर प्रार्थिनी के घर

में घुस आये और प्रार्थिनी के साथ मारपीट की गाली गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी और कीमती सामान तोड फोड़ कर चले गये। पुनरीक्षणतकर्ता ने उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गयी, कोई कार्यवाही न होने पर एस०पी० रामपुर को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन माननीय न्यायालय पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों को अनदेखा करते हुये सरसरी तौर से आदेश दिनांक 17.12.2025 पारित कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध है एवं निरस्त होने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व उच्चतम न्यायालय की कानूनी विधि व्यवस्था के अनुसार संगीन अपराधो में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर जांच किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि मामले की गम्भीरता व सत्यता सामने आ सके। आदेश दिनांक 17.12.2025 विधि व्यवस्था के विपरीत किया गया है। उक्त प्रकरण की संगीन घटना के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष सही तथ्य मौके की निष्पक्ष जांच करके ही सामने आ सकते थे, लेकिन न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान न देते हुये आदेश दिनांक 17.12.2025 पारित किया है।माननननीय न्यायालय को पुनरीक्षण की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये, अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.12.2025 अपास्त करने की कृपा करें।

3. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विधि व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ललिता कुमारी बनाम यू.पी.सरकार और ओ आर एस , SLP(Crl.) No2006 का नम्बर 5986 SLP(Crl.) No2006 का नम्बर 5200, आपराधिक अपील संख्या 2011 का 1410, आपराधिक अपील नं० 1267 का 2007 में पारित आदेश दिनांकित 14 जुलाई, 2026 प्रस्तुत की गयी है।

4. विपक्षी सं० 1 ता 6 के नोटिस प्रेषित किये गये, परन्तु विपक्षी सं० 1 ता 6 की ओर से तामीला के बावजूद विपक्षी सं० 1 ता 6 न्यायालय उपस्थित नहीं आये। विपक्षी सं० 7 उ०प्र०सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) उपस्थित आये तथा उनके द्वारा मौखिक रूप से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अलोच्य आदेश सही व विधि के अनुरूप बताया।

5. न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं० 7 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6. **धारा 438 बी०एन०एस०एस०** के अनुसार पुनरीक्षण न्यायालय, अवर न्यायालय द्वारा पारित किसी भी दण्डादेश या आदेश की शुद्वता एवं वैधता या औचित्य के बारे में तथा किन्हीं कार्यवाहियों की नियमित्तता के बारे में विचार करने हेतु पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

7. संक्षेप में प्रार्थिनी श्रीमती शबनम का प्रार्थना पत्र धारा 173(4)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी श्रीमती शबनम पत्नी नजाकत, निवासी चाउपुरा वार्ड नंबर 11 मसवासी थाना स्वार की स्थाई निवासी है। प्रार्थिनी के पड़ोस के मौहम्मद उमर, मौहम्मद फैज, मौहम्मद कमर पुत्र अमीर हुसैन, मौहम्मद फैजान व गुलफाम पुत्रगण मौहम्मद हनीफ प्रार्थिनी के पडोस में रहते है और प्रार्थिनी के परिवार से रंजिश रखते है प्रार्थिनी के उपर फरदीन व मौहम्मद फैज गन्दे गन्दे इशारे य अश्लील हरकते करते है। प्रार्थिनी की पुत्रियों को आते जाते रास्ते में छेडछाड करते है। इस बात की शिकायत प्रार्थिनी ने मौहम्मद उमर व मौहम्मद कमर से अपने पति के साथ जाकर की लेकिन उपरोक्त लोगो ने प्रार्थिनी की बात को अनसुना कर व टाल मटोल कर प्रार्थिनी को डाट डपट कर भेज दिया। दिनांक 27.11.2025

को समय करीब शाम 06:00 बजे प्रार्थिनी अपने घर से दुकान पर घरेलू सामान लेने के लिये गयी तभी मौहम्मद फैज व फरदीन ने प्रार्थिनी को रास्ते में घेर लिया और प्रार्थिनी के साथ मारपीट की और प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकते की और प्रार्थिनी के गुप्तांगो को हुआ, प्रार्थिनी के विरोध करने पर प्रार्थिनी के साथ बुरी तरह मारपीट की। शोर शराबा सुनकर मौहल्ले के लोग व प्रार्थिनी का पति नजाकत मौके पर आ गया। प्रार्थिनी के पति को मौके पर आते देख मौहम्मद फैज व फरदीन अपने घर की तरफ को भागे और घर से लोगो को इकटठा कर प्रार्थिनी के घर में घुस आये और प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को गन्दी गन्दी गालियां दी व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी और घर का कीमती सामान तोडकर चले गये। इस बात की शिकायत प्रार्थिनी ने चौकी मसवासी पर की, चौकी मसवासी की पुलिस ने प्रार्थिनी को टाल मटोल कर प्रार्थी को थाना स्वार भेज दिया। प्रार्थी ने दिनांक 27.11.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना स्वार को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया गया है,जो विधि विरूद्व है। विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश पारित करते समय पत्रावली का गहनता से परिशीलन नहीं किया है। मात्र इस आधार पर परिवादिनी/पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा 173(4)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त कर दिया कि परिवादिनी/पुनरीक्षणकर्ता के पति नजाकत के विरुद्व थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 67/2024 धारा 323,504,506 भा०दं०सं० पंजीकृत है,जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण की घटना महिला जनित अपराध से संबंधित है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश साक्ष्य की अनदेखाी कर विधि विरुद्व रुप से पारित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

9. विपक्षी सं० 7 सरकार उत्तर प्रदेश की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.12.2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन कर पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

10– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता / परिवादिनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 173(4)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी के पडोसी मो०उमर,मो०फैज,मो०कमर,मो०फैजान व गुलफाम प्रार्थिनी व उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। प्रार्थिनी के ऊपर फरदीन व मौहम्मद फैज गन्दे गन्दे इशारे य अश्लील हरकते करते है। प्रार्थिनी की पुत्रियों को आते जाते रास्ते में छेडछाड करते है। इस बात की शिकायत प्रार्थिनी ने मौहम्मद उमर व मौहम्मद कमर से अपने पति के साथ जाकर की लेकिन उपरोक्त लोगो ने प्रार्थिनी की बात को अनसुना कर व टाल मटोल कर प्रार्थिनी को डाट डपट कर भेज दिया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता /परिवादिनी ने विपक्षीगण पर अश्लील हरकतु करने,रास्ते में आते जाता छेड़छाड़ करने,मारपीट करने,गन्दी–गन्दी गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने व सामान तोड़ने के कथन किये हैं। न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि विपक्षीगण मो० अजरुददीन की लिखित तहरीर के आधार पर श्रीमती शबनम के पति नजाकत के विरुद्व थाना हाजा पर मु०अ०सं० 67/2024 धारा

323, 504, 506 भा०दं०सं०का अभियोग पंजीकृत हुआ है। उक्त अभियोग अभी न्यायालय में लंबित चल रहा है, जो कि विपक्षीगण ने परिवादिनी के पति नजाकत के विरुद्ध योजित कराया था। उक्त अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उसी से बचने के लिये उक्त आरोप लगाये गये हैं। प्रस्तुत प्रकरण में महिला के विरुद्ध गंभीर अपराध के आरोप हैं। मात्र इस आधार पर कि पुनरीक्षणकर्ता/ परिवादिनी के पति नजाकत के विरुद्ध मु०अ०सं० 67/2024 धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० का अभियोग पंजीकृत है, अवर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/ परिवादिनी श्रीमती शबनम का प्रार्थना पत्र धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता निरस्त किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में महिला के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं। अतः पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.12.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– पुनरीक्षणकर्ता श्रीमती शबनम द्वारा प्रस्तुत क्रि० रिवीजन सं० 23/2026 श्रीमती शबनम शबनम बनाम मोहम्मद उमर व 06 अन्य, **स्वीकार** किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा विविध प्रार्थना पत्र सं० 262/2025 श्रीमती शबनम बनाम मोहम्मद उमर व 06 अन्य, धारा–173(4)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, थाना स्वार, जिला रामपुर में पारित आदेश दिनांकित 17.12.2025 , **निरस्त** किया जाता है।

2– विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वह इस दाण्डिक पुनरीक्षण के निर्णय के निष्कर्षों के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता को सुनने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

3– इस आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु संबंधित अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये। पुनरीक्षणकर्ता अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 12–08–2026 को उपस्थित हों। पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक–18.07.2026

(अजय कुमार दीक्षित)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code. No.UP6153

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक–18.07.2026

(अजय कुमार दीक्षित)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O. Code. No. UP 6153